कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 192/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 19.05.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 19.05.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

थाना- बरदह, जनपद आजमगढ़

➡ गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को बरदह पुलिस ने किया गिरफ्तार

➡ संगठित गिरोह बनाकर अपराध कर लोक व्यवस्था प्रभावित करने वाले गिरोह के सदस्य पर कार्यवाही

दिनांक 18.05.2026 को थानाध्यक्ष श्री राजीव कुमार सिंह की लिखित तहरीर एवं थाना स्थानीय के अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि थाना बरदह एवं आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय शातिर अपराधियों का एक संगठित गिरोह कार्यरत है, जिसका गैंग लीडर मो0 अनस उर्फ मूशा उर्फ मुनीश पुत्र फिरोज निवासी ग्राम बक्सपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ है। उक्त गिरोह द्वारा आर्थिक, भौतिक एवं दुनियाबी लाभ प्राप्त करने हेतु संगठित रूप से आपराधिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं, जिससे लोक व्यवस्था प्रभावित एवं सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो रहा था। गिरोह के भय एवं दहशत के कारण आमजन इनके विरुद्ध शिकायत अथवा गवाही देने का साहस नहीं कर पाते थे। उक्त कृत्य उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 की धारा 2(ख)(xvii) से आच्छादित पाए जाने पर गैंग लीडर मो0 अनस उर्फ मूशा उर्फ मुनीश तथा गिरोह के सदस्य ओमप्रकाश पुत्र बंगाली निवासी बागपुर थाना बरदह एवं तबरेज उर्फ परवेज उर्फ कल्लु पुत्र शमशेर निवासी इशहाकपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध धारा 2(ख)(xvii)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

इसी क्रम में दिनांक 18.05.2026 को थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह मय हमराह द्वारा अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र बंगाली निवासी ग्राम बागपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को समय करीब 22:00 बजे बक्सपुर से मुक्तिपुर जाने वाले मार्ग पर काजू राय के खाद की दुकान के पास से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त अपने कृत्य के लिए माफी मांग रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

ओमप्रकाश पुत्र बंगाली निवासी ग्राम बागपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- …/2026 धारा 2(ख)(xvii)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 155/17 धारा 406, 506 भादवि थाना बरदह जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 383/24 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह, का0 राजेन्द्र प्रसाद, रि0का0 विनय कुमार, रि0का0 लवकुश एवं रि0म0का0 स्वाती थाना बरदह जनपद आजमगढ़ द्वारा गिरफ्तारी की कार्यवाही की गयी।

थाना- मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

➡ मारपीट कर गर्भपात कराने के मामले में 02 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार

➡ बच्चों के विवाद में महिला से मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस की त्वरित कार्यवाही

दिनांक 18.05.2026 को वादिनी शोभा देवी पत्नी जितेन्द्र कनौजिया निवासी ग्राम टड़ियाखन थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 17.05.2026 को समय लगभग 05:00 बजे बच्चों के विवाद को लेकर उनके देवर ओपेन्द्र, सनी देवल पुत्रगण अशोक चौधरी तथा सिम्पल पत्नी ओपेन्द्र द्वारा उन्हें लात-घूंसों से मारापीटा गया, जिससे उनके सिर व पेट में गंभीर चोटें आयीं तथा तीन माह का गर्भ गिर गया। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गयी। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 194/2026 धारा 92, 115(2), 351(3) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 राघव राम यादव द्वारा की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 19.05.2026 को उ0नि0 राघव राम यादव मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र व तलाश वांछित अभियुक्त में मौजूद थे कि मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त सईदनगर तिराहा पर कहीं भागने की फिराक में मौजूद हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी करते हुए अभियुक्त 1. ओपेन्द्र पुत्र अशोक चौधरी उम्र 25 वर्ष, 2. सनी देवल पुत्र अशोक चौधरी उम्र 19 वर्ष तथा अभियुक्ता सिम्पल पत्नी ओपेन्द्र उम्र 22 वर्ष निवासीगण ग्राम टड़ियाखन थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को समय करीब 08:35 बजे गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 194/2026 धारा 92, 115(2), 351(3) बीएनएस थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता-

1. ओपेन्द्र पुत्र अशोक चौधरी उम्र 25 वर्ष
2. सनी देवल पुत्र अशोक चौधरी उम्र 19 वर्ष
3. सिम्पल पत्नी ओपेन्द्र उम्र 22 वर्ष

   निवासीगण ग्राम टड़ियाखन थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 194/2026 धारा 92, 115(2), 351(3) बीएनएस थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 राघव राम यादव मय हमराह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा गिरफ्तारी की कार्यवाही की गयी।

थाना- गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

➡ किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

➡ पॉक्सो एक्ट के अभियोग में पुलिस की त्वरित कार्यवाही

दिनांक 18.05.2026 को थाना गम्भीरपुर पर प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर मन्दिर में शादी करने, उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने तथा उसे मुम्बई ले जाने, जिससे पीड़िता गर्भवती हो गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-123/2026 धारा 137(2)/65(1) बीएनएस व 5(J)(2)/6 पॉक्सो एक्ट बनाम रोहित पुत्र प्रमोद निवासी रेवसा थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

दिनांक 19.05.2026 को थानाध्यक्ष अमित कुमार त्रिपाठी मय हमराहीयान द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त रोहित पुत्र प्रमोद निवासी रेवसा थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष को मुजफ्फरपुर मोड़ से समय करीब 09:40 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-
रोहित पुत्र प्रमोद निवासी रेवसा थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष।
पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0-123/2026 धारा 137(2)/65(1) बीएनएस व 5(J)(2)/6 पॉक्सो एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
थानाध्यक्ष अमित कुमार त्रिपाठी, कां0 रमेश यादव, का0 मिथलेश यादव, रि0म0का0 रागिनी गौड़ एवं रि0म0का0 अमीषा पटेल थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा गिरफ्तारी की कार्यवाही की गयी।

थाना- अहरौला, जनपद आजमगढ़

➡ कान की झुमकी लूट की घटना का सफल अनावरण, 01 अभियुक्त गिरफ्तार

➡ सीसीटीवी व सर्विलांस की मदद से पुलिस ने बरामद की लूटी गयी झुमकी

दिनांक 07.05.2026 को थाना अहरौला पर वादी श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री जानकी राम निवासी ग्राम कोर्राधाटमपुर द्वारा सूचना दी गयी कि मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनकी पत्नी के कान की झुमकी झपट्टा मारकर लूट ली गयी, जिससे उनके कान में चोट भी आयी। उक्त सूचना के आधार पर थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 120/2026 धारा 309(6)/115(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम द्वारा विभिन्न स्थानों के सीसीटीवी फुटेज व अन्य साक्ष्यों का गहनता से विश्लेषण कर अभियुक्तों की पहचान सुनिश्चित की गयी।

इसी क्रम में दिनांक 18.05.2026 को उ0नि0 यश कुमार पटेल मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त बिजेन्द्र विश्वकर्मा उर्फ विपिन विश्वकर्मा पुत्र दिनेश विश्वकर्मा निवासी खालिसपुर भटौली थाना मालीपुर जनपद अम्बेडकरनगर उम्र करीब 26 वर्ष को ग्राम केवलकड़ माहुल-अम्बारी मार्ग बार्डर से पहले पुलिया के पास से समय करीब 23:40 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर एक अदद लूटी गयी कान की झुमकी पीली धातु बरामद हुई। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा घटना कारित करना स्वीकार किया गया। विवेचना से धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी है। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।
बरामदगी-
• एक अदद लूट की कान की झुमकी पीली धातु।
पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 120/2026 धारा 309(6)/115(2)/317(2) बीएनएस थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तार अभियुक्त-
बिजेन्द्र विश्वकर्मा उर्फ विपिन विश्वकर्मा पुत्र दिनेश विश्वकर्मा निवासी खालिसपुर भटौली थाना मालीपुर जनपद अम्बेडकरनगर उम्र करीब 26 वर्ष।
आपराधिक इतिहास-
मु0अ0सं0 120/2026 धारा 309(6)/115(2)/317(2) बीएनएस थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 यश कुमार पटेल चौकी प्रभारी माहुल थाना अहरौला, हे0का0 इंद्रमणि पटेल, हे0का0 सुरेन्द्र निषाद, का0 माजिद अंसारी थाना अहरौला तथा अनावरण टीम/सर्विलांस सेल के प्रभारी उ0नि0 शशिकान्त यादव, हे0का0 प्रमोद यादव, का0 विशाल मल, का0 विकास ठाकुर व हे0का0 उमेश यादव द्वारा गिरफ्तारी की कार्यवाही की गयी।